तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रसन्नचन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 20/2018	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी Prassan Chand Ostwal, No. 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor, Sowcarpet, Chennai- 600079 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.12.17 में उसके द्वारा (1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में श्री जैन रत्न उ0 माध्यमिक विद्यालय भोपालगढ द्वारा दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन सं0 11026/2010 के प्रत्युत्तर में दायर जबाब,जिसमें राजस्थान सरकार जिला कलक्टर महोदय, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	